



62

CA

CP

आयुक्त न्यायालय
सागर जे.डी. 29-9-14
सागर

न्यायालय श्रीमान राजस्व बोर्ड ग्वालियर केम्प सागर (म०प्र०)

R-3422-11114

B.O.R.

25 SEP 2014

- १- विजय कुमार गुप्ता आयु ५० वर्ष (दोनो आत्मज)
 - २- हरि नारायण गुप्ता आयु ५० वर्ष (दोनो आत्मज)
- स्व०श्री मुन्नालाल गुप्ता, दोनो निवासी
सदर बाजार, सागर (म०प्र०)

आवेदकगण ।
रिखी जन कर्मिण

॥ बनाम ॥

अमित केशखानी वल्द हरि अम केशखानी
निवासी सदर बाजार, सागर (म०प्र०) आवेदक । प्रति-
पुनरीक्षण कर्ता

पुनरीक्षण आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा ५० म०प्र०म०रा०स०

न्यायालय श्रीमान तहसीलदार सागर द्वारा राजस्व
प्रकरण क्रमांक २२-आ७० वर्ष २२-१३ नाम पदाकार अमित
केशखानी -बनाम- विजय कुमार व अन्य मे पारित आदेश दिनांक
२।७।०१४ से व्यथित होकर यह पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत है -

संक्षेपतः तथ्य एवं आधार

१- यहकि, अमित केशखानी ने तहसीलदार के समक्ष ग्राम
बहेरिया साहनी के स०न० १७।३ रकबा २-०३ हे० पर विजय
कुमार वगैरह से कबजा दिलाये जाने वावत् आवेदन पेश किया था,
जिसका नोटिस प्राप्त होने पर विजय कुमार व अन्य की ओर
से न्यायालय के समक्ष पेश हुए ।

२- यहकि, वास्तविक मालिक काविज वावग्रस्त भूमि का
विजय कुमार एवं अन्य उसके परिवार के सदस्य है किन्तु दलील
राज कुमार व श्रीकांत केशखानी ने फजी" रूप से फजी" आदमी
सड़ा करके सर्व मृत व्यक्ति की जगह दूसरे व्यक्ति को सड़ा करके

श्रीमान सागर जे.डी. 29-9-14
सागर (म. प्र.)
कार्यालय सागर, सागर तस्मान,
सागर (म. प्र.)
सागर (म. प्र.)

115
26-9-14


1.10.14

राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 3422-तीन/14

जिला- सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिमूक आदि के हस्ताक्षर
2.03.16	<p>आवेदक अधिवक्ता एवं आवेदक को समय समय पर आवाज लगवाई गई । कोई उपस्थित नहीं । अतः वह लगभग 10 पेशियों से अनुपस्थित होने के कारण तथा प्रकरण में रूचि नहीं होने के कारण प्रकरण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।</p> <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	

M